न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबू लाल, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
20/2022/वाद पत्र	12.01.2022	19.05.2025

उनवान

श्री गोपीलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा निवासी अमरतिया ग्राम पंचायत बंराटिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये पेरोकार सरकार तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज०)।

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी कानून

उपस्थितः– श्री दिनेश चन्द्र व्यास :– अभिभाषक – वादी

निर्णय

वाके ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में वादी के नाम कृषि आराजियात हाल खाता संख्या 593 साबिक 575 की आराजी नम्बर 2901 रकबा 0.2800 किस्म बारानी तृतीय व आराजी नम्बर 2902 रकबा 0.2000 किस्म बारानी तृतीय कुल किता 02 जुमला रकबा 0.4800 हैक्टेयर होकर वादी का 1/2 हिस्सा नीहित है उपरोक्त आराजी पर वादी अपने मालिकाना हक स्वामित्व से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी अपने हक हिस्से अनुसार 1/2 हिस्से पर काबिज मालिक होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है चूंकि बादी को गांव में बचपन से ही लाड़–प्यार से गोपाल कहा करते थे इसी कारण से कलम नम्बर 01 में वर्णित समस्त कृषि आराजियात के राजस्व रेकॉर्ड में गोपाल पुत्र श्री हजारी कोम ब्राह्मण का नाम बहैसियत खातेदार लिखा हुआ है। वादी का असल नाम गोपी लाल शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा है जो वादी के आधार कार्ड संख्या 3382 0993 1898 में इसी प्रकार पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग क्रमांक रै/1030345 में व वादी के परिवार राशन कार्ड संख्या 00097 जो ग्राम पंचायत बंराटिया द्वारा जारीशुदा है एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम–राजस्थान के जॉब कार्ड नम्बर 27240020028042002890635 में वादी का नाम गोपी लाल शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा अंकित है तथा ग्राम पुराना सरसुन्दा के खाता संख्या हाल 31 साबिक 26 में गोपी पुत्र श्री हजारी नाम बहैसियत अंकित है तथा इसी प्रकार ग्राम पुराना सरसुन्दा के हाल खाता संख्या 22 साबिक 125 में भी वादी का नाम गोपी पुत्र श्री हजारी अंकित है जो कि वादी का सही नाम है। वाद पत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित आराजियात के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अपना नाम गोपाल पुत्र श्री हजारी शर्मा के बजाय गोपी लाल शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा का नाम दर्ज करवाना चाहता है क्योंकि वादी को गोपी लाल शर्मा के बजाय राजस्व अभिलेख में गोपाल शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा का नाम दर्ज होने से बैंक ऋण प्राप्त करने, फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली किसान लाभकारी योजनाओं का लाभ वादी नही उठा पा रहा है तथा अपनी कृषि भूमि में होने वाली उपज को स्थानिय कृषि मण्डी में उचित मुल्य पर विक्रय कर लाभार्थ नही लिया जा रहा है जिससे की वादी को आर्थिक क्षति व मानसिक संताप तथा अपूर्णिय क्षति हो रही है जिसकी पूर्ति कदापि असम्भव है। वादी को उपरोक्त वाद पेश करने की नोईयत इस कारण हुयी कि वादी का नाम वाद पत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित कृषि भूमि के अभिलेख में गोपाल

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला–भीलवाड़ा (राज.)

पुत्र श्री हजारी का नाम अंकन होने से अब वादी अपने सकुनत/वल्दीयत के दस्तावेज अनुसार अपना नाम गोपी लाल शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा दुरुस्त कराना चाहता है जिस कारण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर बतोर खातेदार वादी का नाम गोपी लाल शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्य हिस्सेदारान के विरूद्ध वादी किसी प्रकार की कोई दादरसी नही चाहता है इस कारण उन्हे बतौर आवश्यक पक्षकार कायम नही किया गया है। वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी भूमिधारी है, को वेधानिक नोटिस देकर उसकी मियाद गुजार कर वाद पेश करने का लाजमी प्रावधान है परन्तु वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से बिला दिये नोटिस, अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थना पत्र जुदागाना तौर पर वास्ते चाहने अनुमति पेश करने वाद पत्र के प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि :–

(क) कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी के इन्द्राज दुरुस्त की आज्ञाप्ति इस आशय की पारित फरमायी जावे कि वाद पत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित आराजिया जो कि वाके ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में सारणी अनुसार वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में गोपाल पुत्र श्री हजारी शर्मा के बजाय वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर गोपी लाल शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा बहैसियत खातेदार इन्द्राज दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर पारित फरमायी जावे।

(ख) कि माफिक डिकी माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में पारित की जाती है तो प्रतिवादी को आदेशित फरमाया जावें कि माफिक डिकी वादी के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में उचित अमल दरामद करें।

(ग) कि अन्य अनुतोष जो बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी माननीय न्यायालय उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.03.2022 सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ है। दिनांक 20.02.2024 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जवाब में वाद पत्र के किसी भी बिन्दु का खण्डन नहीं किये जाने से प्रकरण तनकी के स्थान पर साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 21.05.2024 को अभिभाषक वादी द्वारा वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रकरण अंतिम बहस के नियत किया गया है। दिनांक 03.07.2024 को बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी। प्रकरण आदेश के नियत किया गया। दिनांक 04.09.2024 को प्रकरण पुनः बहस के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 12.05.2025 को बहस अभिभाषक वादी की एकतरफा सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, एवं अन्य रेकार्ड को देखा। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रदर्श –2 जमाबंदी ग्राम पुराना सरसुन्दा खाता संख्या 31 संवत् 2074 से 77, प्रदर्श –3 जमाबंदी ग्राम पुराना सरसुन्दा खाता संख्या 122 संवत् 2074 से 77 एवं अन्य पहचान पत्र की फोटोप्रति– प्रदर्श 4ए, आधारा कार्ड की फाटोप्रति– प्रदर्श 5ए, बैंक पास बुक की फाटोप्रति– प्रदर्श 6ए के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

–:: आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाके ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा के आराजी नम्बर 2901 रकबा 0.2800 है0 किस्म बारानी तृतीय व 2902 रकबा 0.2000 किस्म बारानी तृतीय किता 02 रकबा 0.4800 है0 में सह खातेदार के रूप में दर्ज गोपाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण के स्थान पर वादी गोपीलाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण को अन्य सह खातेदारान के साथ सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम गोपाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण के स्थान पर गोपीलाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला–भीलवाड़ा(राज.)

तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इंद्राज यथावत रहगें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा,जिला-भीलवाड़ा(राज.)

(बाबू लाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास **श्री बाबू लाल, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी**

उनवान

श्री गोपीलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा निवासी अमरतिया ग्राम पंचायत बंराटिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये पेरोकार सरकार तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)।

—प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी कानून

मुकदमा नम्बर 20 सन् 2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :—

वाके ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा के आराजी नम्बर 2901 रकबा 0.2800 है0 किस्म बारानी तृतीय व 2902 रकबा 0.2000 किस्म बारानी तृतीय किता 02 रकबा 0.4800 है0 में सह खातेदार के रूप में दर्ज गोपाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण के स्थान पर वादी गोपीलाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण को अन्य सह खातेदारान के साथ सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम गोपाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण के स्थान पर गोपीलाल पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इंद्राज यथावत रहगें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 19 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

(बाबू लाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा